20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

315

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018/निगरानी

निगरानी - 2812/2018/छतरपुर/श्रे.रा

श्री बृजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आज दि. 08/05/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-6-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.5.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदक -- बृजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह, आयु 39 वर्ष, निवासी- ग्राम बघारी, पोस्ट हिनौत तहसील लौड़ी, जिला छतरपुर (म0प्र0)

बनाम

अनावेदकगण --

1- मध्य प्रदेश शासन, द्वारा- कलेक्टर, जिला - छतरपुर (म0प्र0)

2- रामकृपाल केवट पुत्र श्री वंशी उर्फ वंशू केवट

3- श्रीमती ननिहा उर्फ रूपा पत्नी श्री रामकृपाल केवट, निवासीगण- ग्राम बघारी पोस्ट हिनौत तहसील लौड़ी, जिला छतरपुर (म0प्र0)

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर प्राप्त 01 से 14 दिनांक 8/5/18

बृजेन्द्र सिंह चौहान 08/05/18

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.01.2018 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/बी-121/2009-10/ स्वप्रेरणा निगरानी।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1- यहकि, भूमि सर्वे नम्बर 748 रकवा 0.227 हैक्टेयर स्थित ग्राम बघारी, तहसील चन्दला, जिला छतरपुर जोकि अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि थी जोकि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 23.10.2009 को आवेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी गयी है, जिस पर आवेदक द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार चन्दला द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 26/अ-6 /09-10 आदेश दिनांक 03.06.2010 द्वारा विक्रेता अनावेदकगण के स्थान पर आवेदक बृजेन्द्र बहादुर का नामांतरण स्वीकार किया गया है,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2812/2018/छतरपुर/भू.रा. बृजेन्द्र विरूद्ध शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/बी-121/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 29-01-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 24.01.19 (आर.के. जैन) सदस्य	